

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/

जयपुर, दिनांक 09.11.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 09.11.2015 में योजनाओं में वित्तीय प्रगति तथा योजना स्वीकृत करने की समीक्षा की गयी। इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये:-

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में विभिन्न इन्जिनियरिंग कालेजों के साथ बैठक में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति हेतु मा0 मंत्री महोदय से प्रशासनिक स्वीकृति ली जावे। इस हेतु आगामी सप्ताह में कार्यशाला आयोजित की जाए। श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, पीपलान्त्री (राजसमंद) को थर्ड पार्टी निरीक्षण में कन्सल्टेन्ट के रूप में सामिल किया जाए।  
(एसई,आईएवाई)
2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है। इन पर त्वरित कार्यवाही हेतु पंचायतीराज में सम्पर्क किया जाए।  
आवास योजना में अब तक 96000 रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध 62000 की स्वीकृति जारी कर 33000 परिवारों को प्रथम किश्त रिलीज की गयी। पीएफएमएस में विलम्ब हो रहा है। इस हेतु भारत सरकार को लिखा गया है।  
अलवर जिला परिषद के पास 2.50 करोड़ रुपये आधिक्य है, इसी तरह अन्य जिलों से भी आधिक्य राशि को प्राप्त कर मुख्यालय के बैंक खाते में डाला जाए।
3. जिलों द्वारा आवास सहायकों की नियुक्ति में एकरूपता हेतु मुख्यालय स्तर से आवास सहायक नियुक्त करने का ड्राफ्ट ओडर तैयार कर जिलों को भिजवाया जाए।  
(एसई,आईएवाई)
4. योजना में वर्ष 2014-15 के सभी स्वीकृतियों हेतु लक्ष्य के अनुरूप समस्त स्वीकृतियाँ जारी करायी जाए तथा अल्पसंख्यक परिवारों के लक्ष्य के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर स्थिति की समीक्षा कर लक्ष्य व्यय करने हेतु भारत सरकार को लिखा जाए।  
(एसई, ग्रा.वि.)
5. एमएलए लैंड व एमपी लैंड योजना में कार्यों की अभिशंषा करने हेतु संबंधित माननीय विधायक/सांसद को पासवर्ड उपलब्ध कराये जाए। पासवर्ड उपलब्ध होने पर मा0 मंत्री महोदय की ओर से माननीय विधायकों/ सांसदों को पत्र जारी किया जाए, जिससे वे अपने अनुशंषा सीधे ही आईडब्ल्यूएमएस सॉफ्टवेयर में डाल सकें। जिससे कि कार्य की स्वीकृति में विलम्ब न हो।  
(पीडी एसएपी)
6. किस्म नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) हेतु निजी प्रयोगशालाओं को अनुमत किये जाने के संबंध में कार्यवाही कर उचित स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आदेश जारी किया जाए।  
(एसई, ग्रा.वि.)

7. ए— ऐसी ग्राम पंचायते (1310) जिनमें में टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। उनकी समीक्षा करें एवं उन्हें पत्र जारी करा कर उनकी टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए। टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने के आरोप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाए। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अभी से प्लान तैयार कर जिलों को भिजवाया जाए।  
(वित्तीय सलाहकार)
8. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 178 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है जिन्हें वैबसाईट पर डाल दिया गया है। योजना की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंभीर नहीं है इस हेतु जिला कलक्टर्स को लिखा जाए।  
( पीडी,एसएपी )
9. डांग, मगरा, मेवात, बीएडीपी में अतिरिक्त आवंटन बीएडीपी में 40 करोड रुपये व मगरा 10 करोड की राशि की स्वीकृतियों हेतु आगामी कार्यवाही की जाए। बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि के शीघ्र उपयोग के संबंध में आरएसएलडीसी से सम्पर्क किया जाए।  
(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)
10. जिला प्रभारी को निर्देशित किया जाये कि कार्यों की स्वीकृति के संबंध में नई ग्रामीण कार्य निर्देशिका लागू होने के बाद आ रही कठिनाईयों की सूचना जिला प्रभारी से अप्राप्त है जिसे प्राप्त किया जाकर समाधान करायें।  
(जिला प्रभारी / योजना प्रभारी)
11. विधान सभा के 21 प्रश्न लम्बित है। मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग-6 व एसएपी अनुभाग-8 एवं आवास के -5 लम्बित प्रश्नों का निस्तारण कराये।  
(योजना प्रभारी)
12. दिनांक 19.10.2015 को परियोजना अधिकारियों की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर भिजवाया जाए तथा अधिशाषी अभियन्ताओं की 19 नवम्बर 2015 को बैठक रखी जाए। इस संबंध में नोटिस जारी किया जाए।  
(एसई, ग्रा.वि. )
13. इस माह सबसे कम प्रगति वाले 8 जिलों में से 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जयपुर, बूँदी, भरतपुर) को दिनांक 17.11.2015 को मुख्यालय पर बुलाकर बैठक आयोजित की जाए।
14. आजीविका परियोजना में 3-4 अधिकारी एक जिले में 3 दिवस का स्टे कर उस जिले में आ रही समस्याओं का निस्तारण करते हैं उसी प्रकार ग्रामीण विकास योजनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु सबसे कम प्रगति वाले जिलों में अधिकारियों का एक दल भेजा जाए और वह 3 दिवस तक जिले में रहकर जिले की समस्त कठिनाईयों का समाधान कर प्रगति को बढ़ाये।  
(योजना प्रभारी)
15. सभी योजना प्रभारी 150 प्रतिशत राशि की स्वीकृतियाँ जारी कराने के आदेश कराए। आईडब्ल्यूएमएस में आवंटन को 150 प्रतिशत करने के निर्देश दिये गये ताकि 150 प्रतिशत तक स्वीकृतियाँ जारी हो सके।  
(समस्त योजना प्रभारी)
16. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर प्र समीक्षा की जाएगी।  
(वित्तीय सलाहकार)
17. विभागीय वैबसाईट सही ढंग से नहीं खुलती है। इसे ठीक किया जाए। नवीनतम सूचनाएँ अधिकतम 15 दिवस तक रखी जाए।  
(प्रोग्रामर)

18. मुख्यालय से दि० 5 से 7 नवम्बर 2015 को जिला डूंगरपुर में भेजी गयी टीम से विजिट रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी अनुपालना हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि०प० डूंगरपुर को भेजी जाए।


(पीडी मोएवंमू)

19. मुख्य मंत्री जल अभियान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(योजना प्रभारी)

20. बीएसआर दर पर ग्राम पंचायतों को कार्य अनुमत किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाए।


(योजना प्रभारी)



परि०निदे० एवं पदेन  
उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति० मुख्य अभियन्ता (सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई / श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)